08

अध्याय

कृषि और खाद्य प्रबंधनः खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक

पिछले कई वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है, जो कि फसल और पशुधन उत्पादकता बढ़ाना है, मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को प्रतिलाभ (रिटर्न) की निश्चितता सुनिश्चित करना, फसल को बढ़ावा देना, कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से कृषि-उत्पादक संगठनों की स्थापना और बुनियादी सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दी गई प्रेरणा के माध्यम से विविधीकरण, बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार करना सरकार द्वारा किए गए उपायों से हुआ है।

इस अध्याय में इन पहलुओं पर चर्चा कि गई है, इसके साथ ही ऋण उपलब्धता बढ़ाने, मशीनीकरण की सुविधा और बागवानी और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी हस्तक्षेपों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

यह अध्याय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन का दर्शाता है, जिन्हें फसल क्षेत्र के सापेक्ष प्रदर्शन और खाद्य टोकरी और किसानों की आय में उनके महत्व के माध्यम से तेजी से उभरते क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है।

विधि समर्थित राष्ट्रव्यापी खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) पर चर्चा की गई है। गरीबों के आर्थिक बोझ को दूर करने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

परिचय

8.1 अपनी ठोस अग्रिम कड़ियों के साथ, कृषि और संबद्ध गतिविधि क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके देश के समग्र प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले छह वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। 2020-21 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में इसमें 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाल के वर्षों में, भारत भी तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में, भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ा है। 2021-22 के दौरान, कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सरकार द्वारा किसान-उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने, और मशीनीकरण के लिए दिए गए समर्थन और कृषि अवसंरचना कोष के निर्माण के माध्यम से कृषि में उत्पादकता में सुधार के लिए किए गए उपायों के लिए उत्साहजनक कार्यनिष्पादन अवधि को श्रेय दिया जा सकता है। इस प्रकार, देश की वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को साकार करने के लिए, अन्य देशों को कोविड-19 महामारी के दौरान उनको हुए नुकसान के लिए आवश्यक और अनिवार्य सहायता प्रदान की। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के माध्यम से किसानों की आय में सहायता

देने और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने से किसानों की आय के स्रोतों में विविधता आई है, जिससे मौसम से हुए नुकसान के प्रति उनकी सहनशीलता में सुधार हुआ है।

चित्र VIII.1: कोविड-19 महामारी के बावजूद कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लोचदार वृद्धि

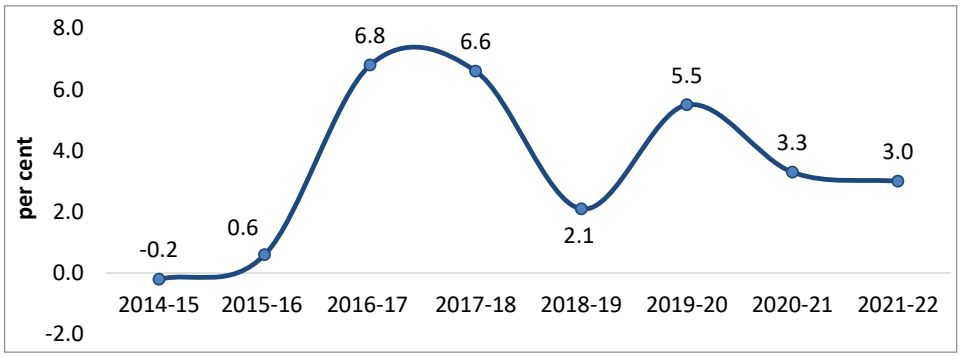

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक और तिमाही अनुमान, 2011-12 श्रृंखला।

8.2 किसानों की आय को दोगुना करने संबंधी सरकार के हस्तक्षेप समिति की सिफारिशों के अनुरूप रहे हैं, जिसने फसल और पशुधन उत्पादकता में सुधार, उच्च मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण, बेहतर संसाधन दक्षता, संवर्धित फसल उत्पादकता, किसानों को मिलने वाली वास्तविक कीमतों में सुधार तथा विकास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसे कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में स्थानांतरित किया है। कई नीतिगत उपाय, जैसे उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत का डेढ़ गुना मूल्य सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), तिलहन जैसी उच्च मूल्य वर्धित फसलों, पर ध्यान केंद्रित करने के लिए योजनाएँ और मूल्य उपाय मूल्य नीति उपायों के माध्यम से फसल विविधीकरण के लिए, प्रोत्साहन कृषि विपणन में सुधार और संसाधन उपयोग दक्षता बढ़ाने आदि को अपनाया गया है। भारतीय कृषि ने यथोचित रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, इस क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन से प्रतिकूल प्रभाव, खंडित भूमि जोत, उप-इष्टतम कृषि मशीनीकरण, कम उत्पादकता, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बढ़ती इनपुट लागत, आदि जैसी कुछेक चुनौतियों से निपटने के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता है।

इस अध्याय में इन मुद्दों से निपटने के लिए शुरू और लागू की गई विभिन्न नीतिगत पहलों पर बाद में चर्चा की गई है।

चित्र VIII.2: कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा देना

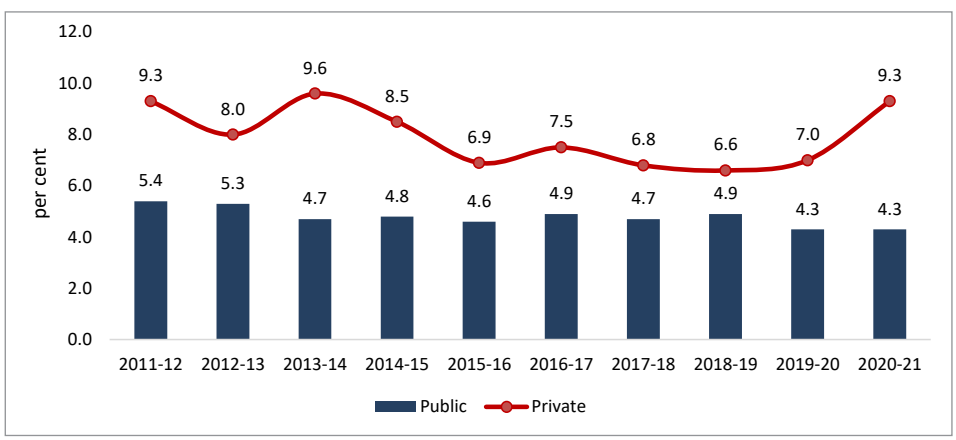

स्रोत: 2021 एक नजर में कृषि सांख्यिकी आंकड़े 2021

चित्र VIII.3: कृषि के लिए भारत की बिजली खपत (वार्षिक)

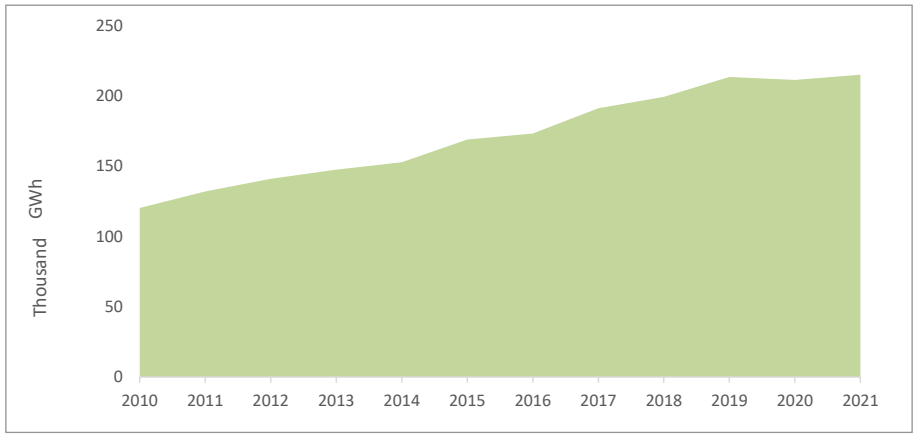

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन

8.3 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, खाद्यान्न और तिलहन का उत्पादन साल-दर-साल (वाईओवाई) बढ़ रहा है। दालों का उत्पादन भी पिछले पांच वर्षों के औसत 23.8 मिलियन टन से उल्लेखनीय रूप से अधिक रहा है। हालाँकि, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था कि बदलती जलवायु कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। वर्ष 2022 में गेहूं की कटाई के मौसम के दौरान शुरुआती गर्मी की लहर देखी गई, जिससे इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस वर्ष मानसून में देरी और कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में भी धान की खेती के बुआई क्षेत्र में गिरावट देखी गई। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 (केवल खरीफ) के अनुसार धान का रकबा 2021-22 (खरीफ सीजन) के दौरान 411.2 लाख हेक्टेयर बोए गए क्षेत्र से लगभग 3.8 लाख हेक्टेयर कम था। इसके अलावा, चालू रबी सीजन में रबी धान की बुआई में पिछले साल की तुलना में 6.60 लाख हेक्टेयर का विस्तार किया गया (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप 12 जनवरी 2023)। खरीफ धान के बुआई क्षेत्र में गिरावट के बावजूद, 2022-23 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खरीफ चावल उत्पादन 100.5 मिलियन टन से अधिक है।

चित्र VIII.4: भारत के खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि (मिलियन टन)

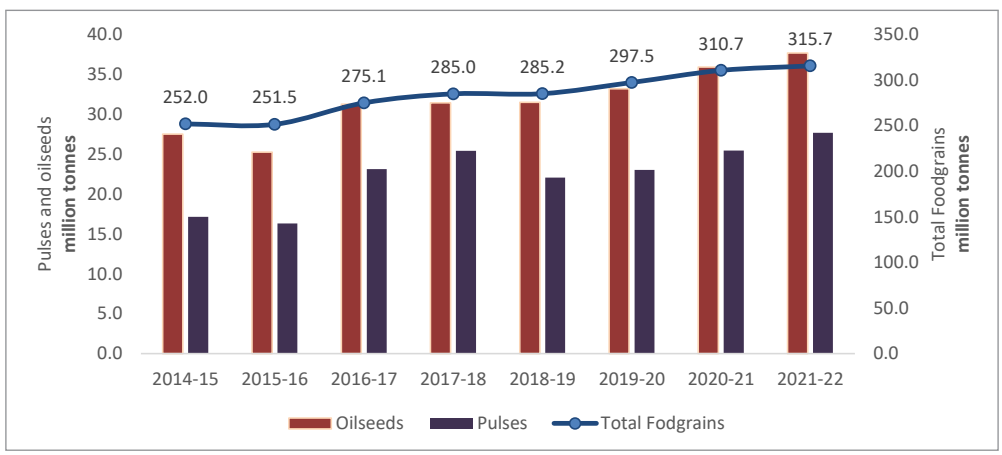

स्रोत: दिनांक 21.09.2022 को जारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का प्रथम अग्रिम अनुमान (2022-23)।

उत्पादन की लागत पर प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

8.4 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि भारत के किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार, कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से सरकार खरीफ, रबी का सभी 22 और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वापसी सहित वृद्धि करती रही है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं और बदलते आहार पैटर्न को देखते हुए और दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने दालों और तिलहन के लिए अपेक्षाकृत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।

चित्र VIII.5: चयनित खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹/क्विंटल)

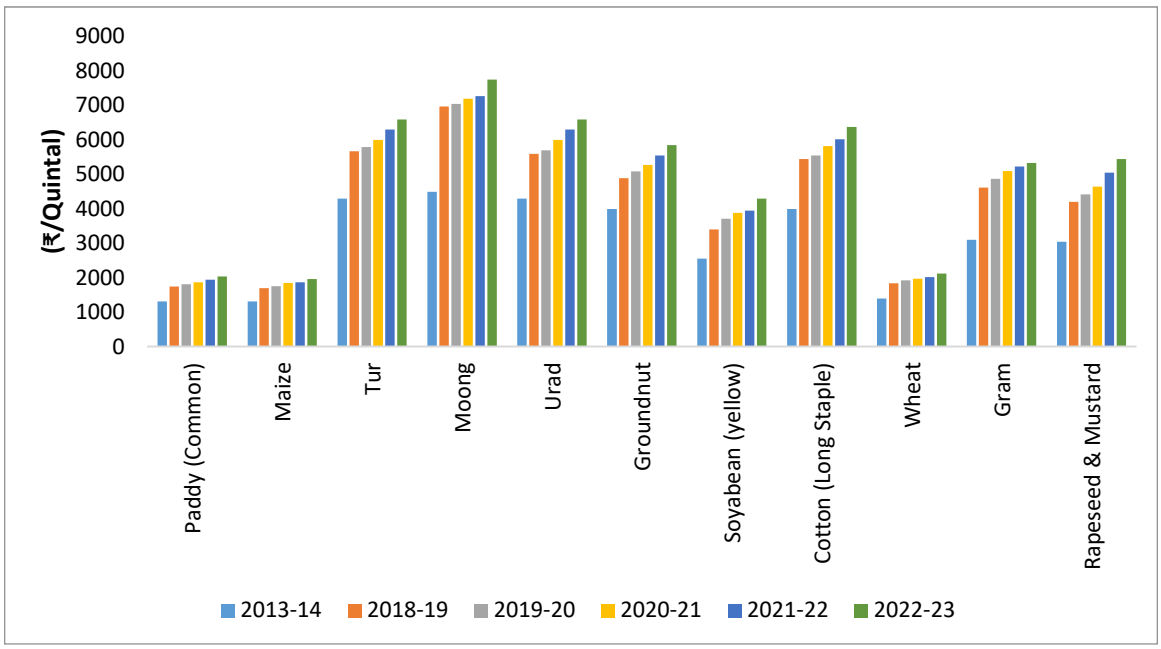

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और कृषि लागत और मूल्य आयोग के आंकड़ों के आधार पर।

कृषि संबंधी ऋण तक पहुंच में वृद्धि

8.5 किसानों को बिना किसी परेशानी के सस्ती दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। तदनुसार, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की ताकि किसान किसी भी समय ऋण पर कृषि उत्पादों और सेवाओं को खरीद सके। 30 दिसम्बर 2022 तक, बैंकों ने ₹ 4,51,672 करोड़ की केसीसी सीमा वाले 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए। भारत सरकार द्वारा 2018-19 में मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को केसीसी सुविधा प्रदान करने के साथ, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में ऐसे कार्डों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 17 अक्टूबर 2022 तक, मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 1.0 लाख केसीसी और पशुपालन क्षेत्र के लिए 9.5 लाख (4 नवंबर 2022 तक) संस्वीकृत किए गए हैं।

8.6 यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान बैंकों को न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करे , भारत सरकार ने किसानों को रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण देने के लिए ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) शुरू की है, जिसे अब संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत, कृषि और पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन आदि सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को 3

लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध है। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत अनुदान (त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन) भी किसानों को दिया जाता है। इसलिए, यदि कोई किसान अपना ऋण समय पर चुकाता है, तो उसे 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ऋण मिलता है।

8.7 प्रारंभ की गई पहलों और मौजूदा नीतियों को सशक्त करने के उपायों से, पिछले कई वर्षों से कृषि ऋण प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है, जो पिछले कई वर्षों से प्रति वर्ष के लक्ष्य से अधिक है। 2021-22 में भी, यह 16.5 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से लगभग 13 प्रतिशत अधिक था। 2022-23 में कृषि के लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्य 18.5 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

चित्र VIII.6: कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि (₹ लाख करोड़)

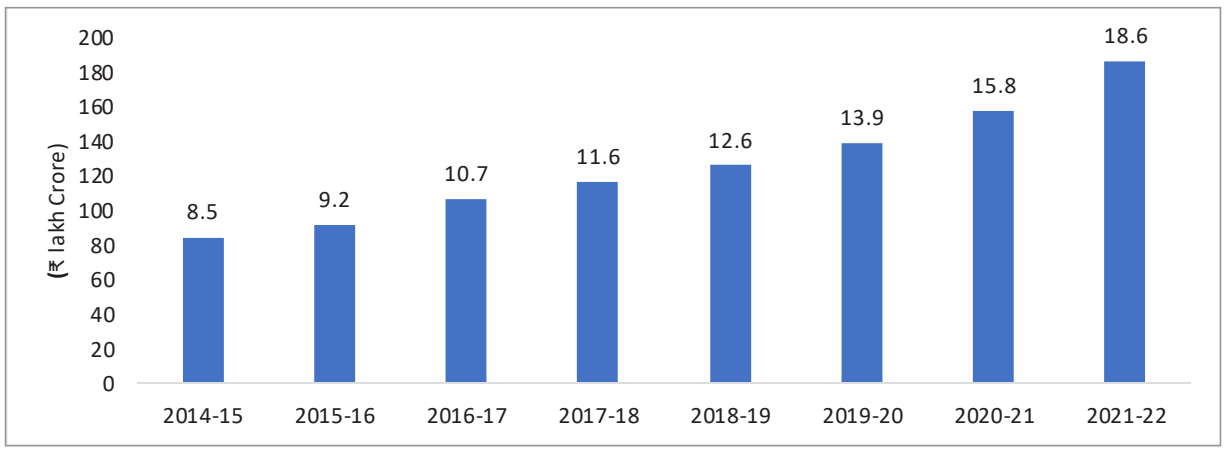

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों पर आधारित एक नजर में 2021

फार्म मशीनीकरण- उत्पादकता में सुधार की कुंजी

8.8 फार्म मशीनीकरण अन्य इनपुट्स और प्राकृतिक संसाधनों के समय पर और कुशल उपयोग के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने में मदद करतें हैं, इसके साथ ही यह खेती की लागत और विभिन्न कृषि कार्यों से जुड़े कठिन परिश्रम को कम करता है। कृषि मशीनीकरण के उप मिशन (एसएमएएम) के तहत, राज्य सरकारों को कृषि मशीनरी के प्रशिक्षण और प्रदर्शन में सहायता दी जा रही है और किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित करने के अलावा विभिन्न कृषि मशीनरी और उपकरण को खरीदने में मदद की जा रही है। दिसंबर 2022 तक, 21628 सीएचसी और 467 हाई-टेक हब और 18306 कृषि मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। कृषि जोत के बढ़ते विखंडन (2005-06 में 1.23 हेक्टेयर से घटकर 2010-11 में 1.10 हेक्टेयर और 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर तक घरेलू स्वामित्व के औसत आकार के साथ) ऐसी मशीनों की आवश्यकता है जो छोटे कृषि जोत के लिए व्यवहार्य और कुशल हों।[1]

रसायन मुक्त भारत: जैविक और प्राकृतिक खेती

8.9 जैविक और प्राकृतिक खेती से रासायनिक खाद और कीटनाशक मुक्त खाद्यान्न और अन्य फसलें प्राप्त होती है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है, और लगभग 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 2021-22 तक जैविक खेती के तहत लाया गया था। सिक्किम ने स्वेच्छा से जैविक खेती को अपनाया और जैविक खेती के तहत 58,168 हेक्टेयर की कुल खेती योग्य भूमि को लेने की प्रक्रिया 2010 में जमीनी स्तर पर शुरू हुई। यह पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है, और त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने समान लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

1 कृषि सांख्यिकी 2021 एक नजर में

8.10 2015 से सरकार क्लस्टर/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन के माध्यम से दो समर्पित योजनाओं, अर्थात परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) को लागू करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। परम्परागत कृषि विकास योजना क्लस्टर मोड में (न्यूनतम 20 हेक्टेयर आकार के साथ) कार्यान्वित की जा रही है। किसान को तीन वर्षों के लिए ₹50,000 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें से ₹31,000 सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान किए गए जैविक आदानों के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। 16 नवंबर 2022 तक परम्परागत कृषि विकास योजना के अधीन कुल 6.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के 32,384 क्लस्टर और 16.1 लाख किसानों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट फसलों की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के अधीन, 177 किसान उत्पादक संगठन/एफपीसी बनाए गए हैं, जिसमें 1.5 लाख किसान और 1.7 लाख हेक्टेयर शामिल हैं।

8.11 2019-20 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जब शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (जेबीएनएफ) सहित पारिस्थितिक खेती के सभी रूपों को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को अपनाने में किसानों की सहायता करने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना की एक उप-योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) शुरू की गई थी। यह योजना चैंपियन किसानों के माध्यम से क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग और प्राकृतिक खेती के ऑन-फील्ड प्रदर्शन पर केंद्रित है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अधीन, 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु) में 4.09 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है।

कृषि में अन्य महत्वपूर्ण पहलें

8.12 पीएम किसान योजना: यह भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रति वर्ष ₹6,000 का वित्तीय लाभ डीबीटी के माध्यम से किसान परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। पीएम किसान के तहत किसी भी किस्त अवधि के लिए लाभ पाने वालों की संख्या अब पहली किस्त अवधि के 3.2 करोड़ से 10 करोड़ किसानों को पार कर गई है। पीएम किसान ने तीन साल से अधिक समय के दौरान जरूरतमंद किसानों को सफलतापूर्वक ₹ 2 लाख करोड़ से अधिक की सहायता दी है। कई अध्ययनों और निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि पीएम किसान योजना ने किसानों को कृषि गतिविधियों में उत्पादक निवेश की दिशा में मदद की है। गुणक प्रभाव के माध्यम से इसने कृषि क्षेत्र के समग्र सुधार में योगदान दिया है।[2] उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के सहयोग से किए गए एक अनुभवजन्य अध्ययन में, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) ने पाया कि इस योजना ने कृषि आदानों को खरीदने के लिए किसानों की तरलता की कमी को दूर करने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा, इसने छोटे और सीमांत किसानों की कृषि आदानों और उनके दैनिक उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने में मदद की है।

2 वार्ष्णेय, दीपक; जोशी, प्रमोद कुमार; रॉय, देवेश; और कुमार, अंजनी। 2020. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) और उत्तर प्रदेश, भारत में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएपफपीआरआई) चर्चा पत्र 1907 । वाशिंगटन, डीसी: अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएपफपीआरआई)

8.13 **कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ):** कृषि अवसंरचना निधि एक वित्तपोषण सुविधा है जो वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक की फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी समर्थन सहित लाभों के साथ चल रही है। इसके तहत, 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2032-33 तक ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी। कृषि अवसंरचना निधि योजना में राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के साथ अभिसरण की सुविधा है और यह कृषि क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो सकती है।

इसकी स्थापना के बाद से अब तक, देश में कृषि बुनियादी ढांचे के लिए ₹ 13,681 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गई है, जिसमें 18,133 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 8,076 गोदाम, 2,788 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां, 1,860 कस्टम हायरिंग सेंटर, 937 छँटाई और ग्रेडिंग इकाईयां, 696 कोल्ड स्टोर परियोजनाएँ, 163 परख और लगभग 3613 अन्य प्रकार की पोस्ट-फसल प्रबंधन परियोजनाएँ और सामुदायिक कृषि संपत्तियाँ शामिल हैं।

8.14 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): पीएमएफबीवाई वर्तमान में किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, हर साल औसतन 5.5 करोड़ आवेदन और प्राप्त प्रीमियम के मामले में यह तीसरी सबसे बड़ी योजना है। यह योजना किसान पर न्यूनतम वित्तीय बोझ का वादा करती है, जिसमें किसान रबी और खरीफ सीजन के लिए कुल प्रीमियम का केवल 1.5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का भुगतान करते हैं, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम लागत का अधिकांश हिस्सा वहन करती हैं। इसके कार्यान्वयन के पिछले छह वर्षों के दौरान, किसानों ने ₹25,186 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान किया और ₹1.2 लाख करोड़ की राशि के दावे प्राप्त किए (31 अक्टूबर 2022 तक)। किसान के बीच योजना की स्वीकार्यता का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से गैर-कर्जदार, सीमांत और छोटे किसानों की हिस्सेदारी में 282 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बॉक्स VIII.1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) 2016 में खरीफ सीजन में फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को व्यापक बीमा कवरेज देने के लिए शुरू की गई थी, जिससे उनकी आय को स्थिर करने में मदद मिली। यह योजना सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। देश में फसल बीमा की प्रचलित नीति व्यवस्था और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे समयबद्ध आधार पर संशोधित/नवीनीकृत किया जाता है। इस योजना में सभी खाद्य और; तिलहन फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें, जिनके पिछले उपज आंकड़े उपलब्ध हैं और जिनके लिए अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) का संचालन सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (जीसीईएस) के तहत किया जा रहा है। खरीफ 2020 से प्रभावी योजना में कई विशेषताएं हैं, जिसमें सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक भागीदारी, 3 साल के लिए राज्यों द्वारा बीमा कंपनियों का चयन, फसल उपज अनुमान की दो-चरणीय प्रक्रिया, फसल काटने के प्रयोगों के लिए उपग्रह डेटा के माध्यम से स्मार्ट नमूना तकनीक का उपयोग करना आदि शामिल हैं।
- योजना को 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर लागू किया गया है। संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत प्रति इकाई क्षेत्र में सीसीई की आवश्यक संख्या के आधार पर उपज डेटा के आधार पर बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है और सीधे बीमित किसान के खाते में भुगतान किया जाता है। हालांकि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन आदि के स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान की गणना व्यक्तिगत-बीमित खेत के आधार पर की जाती है। संयुक्त समिति द्वारा इन दावों का मूल्यांकन किया जाता है जिसमें राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) वर्तमान में किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, हर साल औसतन 5.5 करोड़ आवेदन और प्राप्त प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। इसके कार्यान्वयन के पिछले छह वर्षों में, किसानों ने ₹25,186 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान किया है और ₹1.26 लाख करोड़ की राशि के दावे प्राप्त किए हैं (31 अक्टूबर 2022 तक)। किसानों में योजना की स्वीकार्यता में वृद्धि का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से गैर-कर्जदार, सीमांत और छोटे किसानों की हिस्सेदारी में 282 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मौसम की मार से प्रभावित 2017, 2018 और 2019 के कठिन मौसम के दौरान, यह योजना किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने में निर्णायक कारक साबित हुई, कई राज्यों में एकत्र किए गए सकल प्रीमियम के मुकाबले दावा भुगतान अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक रहा। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ (2017), ओडिशा (2017), तमिलनाडु (2018), और झारखंड (2019) राज्यों ने सकल प्रीमियम के मुकाबले दावों के अनुपात का 384 प्रतिशत, 222 प्रतिशत, 163 प्रतिशत और 159 प्रतिशत रहा।
- योजना की अंदरुनी शिकायतों को बेहतर ढंग से हल करने के लिए, अंत से अंत तक सभी शिकायतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल तैयार किया गया है। यह पोर्टल आवश्यक सुविधाओं से लैस है, जैसे कि कई तरीकों से शिकायत/जांच करना, किसान प्रमाणीकरण और संबंधित कंपनी को ऑनलाइन टिकट अग्रेषण, वृद्धि मैट्रिसेस के अनुसार ऑनलाइन वृद्धि, संकल्प विवरण का अद्यतन करना, डेटा विश्लेषण के लिए एमआईएस और डैशबोर्ड। इसमें बीमा कंपनियों के लिए एपीआई-आधारित संयोजकता (कनेक्टिविटी) है और इसे अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि किसान की संतुष्टि के लिए हर शिकायत का तार्किक निष्कर्ष निकला जा सके। इसके साथ ही संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में शिकायतों के निवारण की निगरानी की जाती है। पोर्टल का बीटा संस्करण 21 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया था।
- 'इसके अतिरिक्त, शिकायतों को हल करने के लिए योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान, अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) बनाया गया है।

8.15 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): पीएमएफबीवाई वर्तमान में किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, हर साल औसतन 5.5 करोड़ आवेदन और प्राप्त प्रीमियम के मामले में यह तीसरी सबसे बड़ी योजना है। यह योजना किसान पर न्यूनतम वित्तीय बोझ का वादा करती है, जिसमें किसान रबी और खरीफ सीजन के लिए कुल प्रीमियम का केवल 1.5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का भुगतान करते हैं, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम लागत का अधिकांश हिस्सा वहन करती हैं। इसके कार्यान्वयन के पिछले छह वर्षों के दौरान, किसानों ने ₹ 25,186 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान किया और ₹ 1.2 लाख करोड़ की राशि के दावे प्राप्त किए (31 अक्टूबर 2022 तक)। किसान के बीच योजना की स्वीकार्यता का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से गैर-कर्जदार, सीमांत और छोटे किसानों की हिस्सेदारी में 282 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

8.15 बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच): कई विशेषज्ञ समूहों ने बागवानी को एक उच्च पैदावार क्षेत्र और उत्साही आय के स्रोत और किसानों के लिए बेहतर लचीलापन के रूप में पहचाना है। 2014-15 में फल, सब्जियां, जड़ और कंद फसलों, मसालों, फूलों, रोपण फसलों आदि को शामिल करते हुए बागवानी को बढ़ावा देने की योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। उन्नत किस्मों और गुणवत्ता वाले बीजों को शामिल करना, रोपण फसलों के लिए प्रोत्साहन, क्लस्टर विकास और फसल कटाई के बाद का प्रबंधन करना व्यवधानों में शामिल है। तीसरे अग्रिम अनुमान (2021-22) के अनुसार, 28.0 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 342.3 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। सरकार ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के प्रारंभिक चरण के लिए चुना गया है। यह कार्यक्रम बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला सहित पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और कटाई के बाद की गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

8.16 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना: भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना शुरू की ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली तैयार की जा सके। ई-नाम योजना के अधीन, सरकार संबंधित हार्डवेयर के लिए प्रति एपीएमसी मंडी को मुफ्त सॉफ्टवेयर और ₹ 75 लाख की सहायता प्रदान करती है, जिसमें गुणवत्ता परख उपकरण और सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग, खाद इकाई आदि जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। 31 दिसंबर 2022 तक, 1.7 करोड़ से अधिक किसान और 2.3 लाख ई-एनएएम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

8.17 जलवायु-स्मार्ट खेती पद्धतियां: सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले किसानों के बीच इन पद्धतियों को स्वीकार कर रहा है। सौर के माध्यम से उत्पन्न बिजली को स्थानीय ग्रिड में स्थानांतरित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन का उपयोग कर फसल उपज भविष्यवाणी मॉडल शुरू किए गए हैं। स्मार्ट खेती फसल विविधीकरण को भी सक्षम बनाती है, जिससे किसानों को पानी के लिए मानसून पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भारत में 1000 से अधिक एग्रीटेक स्टार्ट-अप हैं। ये किसानों को खेती की तकनीक में सुधार करने में सहायता करते हैं।[3]

बॉक्स VIII.2: मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष: हमारा पारंपरिक स्टेपल और एक स्वस्थ विकल्प

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईएम) घोषित किया। मोटा अनाज उच्च पोषण मूल्य वाला स्मार्ट भोजन है, जो जलवायु के अनुकूल है, और संयुक्त राष्ट्र के

3 www.investindia.gov.in/team-india-blogs/digitalization-agriculture-india

कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) के अनुरूप है। आजीविका सृजित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पूरी दुनिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी विशाल क्षमता के कारण इनका अत्यधिक महत्व है। भारत बाजरा का 50.9 मिलियन टन (चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार) से अधिक मोटा अनाज का उत्पादन करता है जो एशिया के 80 प्रतिशत और वैश्विक उत्पादन का 20 प्रतिशत है। वैश्विक औसत उपज 1229 किग्रा/हेक्टेयर है, जबकि भारत में उच्च औसत उपज 1239 किग्रा/हेक्टेयर है। भारत में, मोटा अनाज मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, जो ज्यादातर वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाई जाती है, जिसमें अन्य मुख्य स्टेपल की तुलना में कम पानी और कृषि आदानों की आवश्यकता होती है।

मोटे अनाज के पोषण मूल्य को देखते हुए, सरकार ने अप्रैल 2018 में मोटे अनाज को पोषक-अनाज के रूप में अधिसूचित किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएमएस) के तहत बाजरा प्रदान करने के लिए पेश किया गया है। पोषण संबंधी सहायता के लिए मोटा अनाज को शामिल किया। 2018-19 से 14 राज्यों के 212 जिलों में न्यूट्री-अनाज पर सब-मिशन क्रियान्वित किया गया है।

भारत में मोटा अनाज मूल्य वर्धित श्रृंखला में 500 से अधिक स्टार्ट-अप काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर) के तहत 250 स्टार्ट-अप को इनक्यूबेट किया है। संबद्ध क्षेत्र: हाल के वर्षों में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन तेजी से बढ़ रहा है

संबद्ध क्षेत्र - पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन हाल के वर्षों में तेजी पकड़ रहा है।

8.18 भारतीय कृषि के संबद्ध क्षेत्र - पशुधन, वानिकी और लॉगिंग और मछली पकड़ने और जलीय कृषि धीरे-धीरे तेजी से विकास के क्षेत्र बन रहे हैं और ये बेहतर कृषि आय के संभावित स्रोत हैं। पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2020-21 (स्थिर कीमतों पर) के दौरान 7.9 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा, और 2014-15 में कुल कृषि जीवीए (स्थिर कीमतों पर) में इसका योगदान 24.3 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 30.1 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, 2016-17 से मत्स्य पालन क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत रही है और कुल कृषि जीवीए में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6.7 प्रतिशत है। कृषि जीवीए में फसल क्षेत्र की तुलना में संबद्ध क्षेत्रों की उच्च वृद्धि में पहली मद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। संबद्ध क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए, किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति (डीएफआई, 2018) डेयरी, पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और बागवानी को उच्च विकास इंजन के रूप में मानती है और संबद्ध क्षेत्र के लिए सहवर्ती समर्थन प्रणाली वाली एकाग्र नीति की सिफारिश की है।

चित्र VIII.7: यद्यपि कृषि जीवीए में फसल क्षेत्र का अभी भी प्रमुख योगदान है, पशुधन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है (प्रतिशत में)

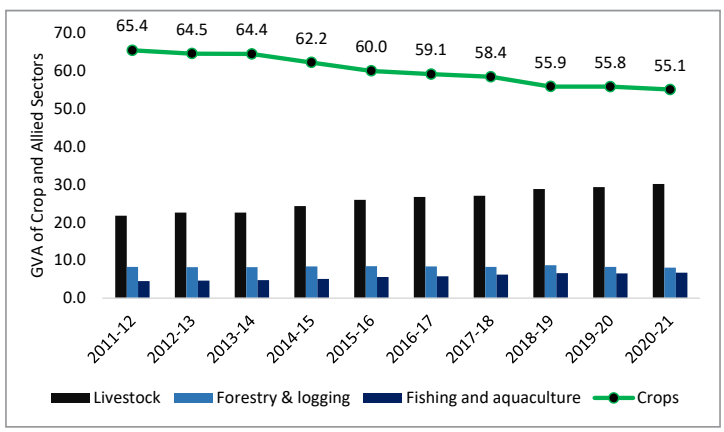

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटा के आधार पर।

8.19 डेयरी क्षेत्र पशुधन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो सीधे तौर पर आठ करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार देता है और सबसे प्रमुख कृषि उत्पाद है। अन्य पशुधन उत्पाद, जैसे अंडे और मांस का महत्व भी बढ़ रहा है। जबकि दुनिया में दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, दुनिया में अंडे के उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में आठवें स्थान पर है।

8.20 संबद्ध क्षेत्रों के महत्व को समझते हुए, सरकार ने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और पशुधन उत्पादकता और रोग नियंत्रण में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं। वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में, 2020 में 15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) प्रारंभ किया था। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार उधारकर्ता को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान और कुल उधारी के 25 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। 14 अक्टूबर 2022 तक, ₹ 3,731.4 करोड़ की परियोजना लागत वाली योजना के तहत 116 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना को 2021-22 से 2025-26 के लिए पुनर्गठित किया गया है। यह योजना फीड और चारा विकास सहित मुर्गीपालन, भेड़, बकरी और सुअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर केंद्रित है। साथ ही, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एवं डीसी) योजना को टीकाकरण द्वारा आर्थिक और जूनोटिक महत्व के पशु रोगों को रोकने, नियंत्रित करने और नियंत्रित करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए मवेशियों, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी को खुरपका और मुंहपका रोग और 4-8 महीने की उम्र की गोजातीय मादा बछड़ों को ब्रुसेलोसिस के खिलाफ पुर्णत: टीकाकरण करके राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) लागू किया जा रहा है।

8.21 मई 2020 में, आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) पैकेज के एक भाग के रूप में, भारत सरकार ने ₹ 20,050 करोड़ के कुल परिव्यय वाली अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अब तक का सर्वाधिक निवेश है, जिसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 21 से वित्तीय वर्ष 25 तक पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा ताकि मछुआरों, मछली किसान और मछली श्रमिक के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास किया जा सके। इससे पहले, मत्स्य पालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने पर ध्यान दिया गया है। ₹ 7,522 करोड़ के निवेश से 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए एक समर्पित मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) की स्थापना की गई थी। मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत, 17 अक्टूबर 2022 तक, ₹ 4,923.9 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से 9.4 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है।

सहकार-से-समृद्धि: सहयोग से समृद्धि तक

8.22 विशेष रूप से कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों की, सहकारी समितियाँ, ग्रामीण आबादी को आजीविका के अवसर और समुदाय-आधारित दृष्टिकोण युक्त वित्तीय सुरक्षा जाल मुहैया कराती हैं। सहकारी समितियां ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन की कुंजी है। देश में 8.5 लाख पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें 29 करोड़ से अधिक सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हाशिए और निम्न-आय समूहों से जुड़े हैं, और 98 प्रतिशत गाँव प्राथमिक कृषि साख समितियों में (पीएसीएस) शामिल किए गए हैं।

8.23 ''सहकार-से-समृद्धि'' के विजन को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र के विकास को नए सिरे से गति दी गई। वर्तमान में, यह कार्य लगभग 19 प्रतिशत कृषि वित्त सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

सहकारी क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के लिए जुलाई 2021 में एक पूर्ण सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जैसे 63,000 कार्यात्मक प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण और प्राथमिक कृषि साख समितियों को अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए उप-नियम तैयार करना।

8.24 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (एमएससीएस) को बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था, ताकि स्थापित सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों के लोकतांत्रिक कामकाज और स्वायत्त कामकाज को सुविधाजनक बनाया जा सके। तिथि के अनुसार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत 1528 पंजीकृत सोसाइटियां हैं। बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में लगभग 66 बहु-राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं, जिनमें लगभग ₹ 2.6 लाख करोड़ जमा राशि है। महाराष्ट्र 661 सहकारी सोसाइटियों का नेतृत्व करता है, इसके बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश हैं।

चित्र VIII.8: 20 अक्टूबर 2022 तक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों वाले शीर्ष दस राज्य

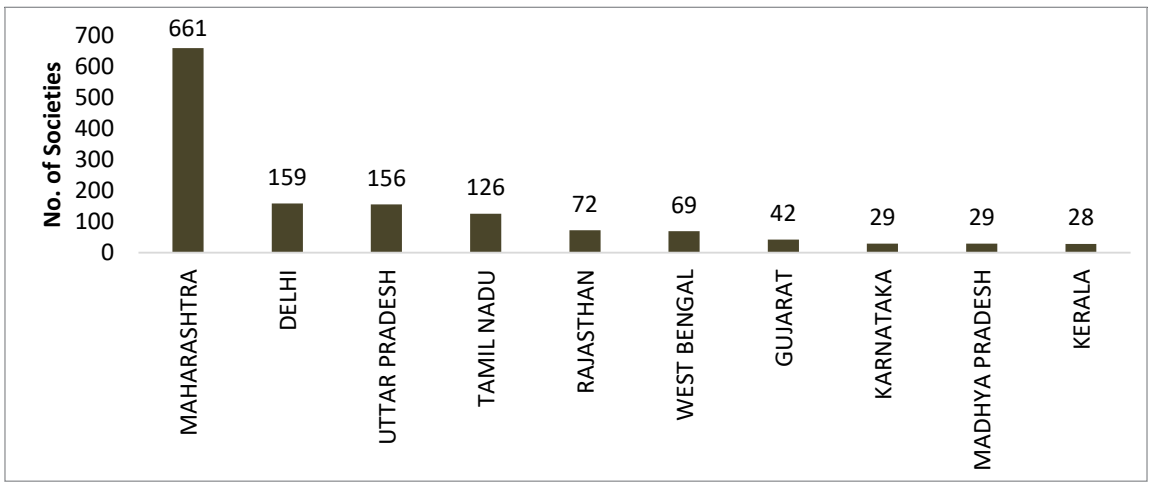

बॉक्स VIII.3: नई राष्ट्रीय सहयोग नीति

देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने, जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करने और सहकारिता आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जा रही है, जिसमें प्रासंगिक हितधारकों जैसे कि सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि शामिल हैं। राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी सोसाइटियां, सचिव (सहकारिता) और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के निवासी आयुक्त, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी। नीति बनाने का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र की वास्तविक क्षमता की संभावनाएं तलाशना है।

इसके अलावा, सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करने का भी फैसला किया है। विधेयक में बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि इसे संविधान के भाग IXख के अनुरूप लाया जा सके और देश में चुनावी सुधारों, शासन को मजबूत करने और पारदर्शिता से संबंधित प्रावधानों को अपनाकर सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, बोर्ड की संरचना, बैठकों और सदस्यता में सुधार करना; सहकारी क्षेत्र द्वारा धन जुटाने को सक्षम करना, निगरानी तंत्र को मजबूत करना, 'कारोबार करने में आसानी' को बढ़ावा आदि देकर व्यवस्था की जा सके। संसद के शीतकालीन सत्र में 7 दिसंबर 2022 को बिल लोकसभा में पेश किया गया था।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र-सूर्योदय क्षेत्र

8.25 उद्योग और कृषि के बीच मजबूत संबंधों और अंत:क्रियाओं को बढ़ावा देने के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भारत के विकास में अत्यधिक महत्व है। वित्तीय वर्ष 21 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र लगभग 8.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2019-20 के अनुसार, पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में लगे कुल व्यक्तियों में से 12.2 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत थे। 2021-22 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि-खाद्य निर्यात का मूल्य, भारत के कुल निर्यात का लगभग 10.9 प्रतिशत था।

8.26 उपभोक्ता टोकरी में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते महत्व के कारण, अब कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों के लिए खेती में विविधीकरण और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना, संसाधनों के उपयोग की दक्षता में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि, कृषि खाद्य पदार्थों के निर्यात और रोजगार के अवसरों के सृजन में विस्तार जैसे नए क्षितिज खुले हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का इष्टतम विकास होने से कई विकास संबंधी चिंताओं जैसे कृषि में प्रच्छन्न ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण गरीबी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य मुद्रास्फीति, बेहतर पोषण, भोजन की बर्बादी की रोकथाम आदि से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

8.27 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अबाध विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश और लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करने की निरंतर आवश्यकता है। नीति आयोग नए भारत संबंधी रणनीति में पर्याप्त और कुशल कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को आपूर्ति की महत्वपूर्ण रूकावट माना गया है, जिससे कटाई के बाद बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान (ज्यादातर खराब होने वाले) होता है, जिसका अनुमान ₹ 92,561 करोड़ प्रतिवर्ष है।[4] कोल्ड स्टोरेज के बुनियादी ढांचे के असमान भौगोलिक वितरण से भी क्षेत्रीय स्तर की असमानताएँ बढ़ती है। दुनिया भर के देशों में खाद्य और कृषि उत्पादों के आयात के कड़े दिशानिर्देशों के होने से पर्याप्त कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण भारत से होने वाले निर्यात को खारिज करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, कनेक्टिविटी से संबंधित सांभर तंत्र बाधाएं भी आपूर्ति के लिए चुनौतियां बनती हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल सड़क नेटवर्क का 2 प्रतिशत है और इससे सभी प्रकार के कार्गो का 40 प्रतिशत ले जाया जाता है यह मौजूदा सड़क नेटवर्क पर बोझ और भीड़भाड़ की संभावना, जो भोजन (और विशेष रूप से खराब होने वाले) परिवहन के लिए हानिकारक का उदहारण प्रस्तुत करता है।

8.28 इस क्षेत्र की प्रचुर क्षमता को पहचानते हुए, सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण के विकास के उद्देश्य से विभिन्न हस्तक्षेपों में सबसे आगे रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास और विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है। पीएमकेएसवाई के तहत, 31 दिसम्बर, 2022 तक 677 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। मंत्रालय ने 2020 में असंगठित क्षेत्र में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एएनबी अभियान के हिस्से के रूप में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना के प्रधान मंत्री के औपचारिककरण की भी शुरुआत की। देश में 2 लाख सूक्ष्म इकाईयों के उन्नयन/स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करके इस क्षेत्र को खंडित करना और औपचारिकता को बढ़ावा देना। 31 दिसम्बर 2022 तक ₹ 1402.6 करोड़ के 15,095 ऋण संस्वीकृत किए गए। यह योजना साझा सेवाओं और विपणन उत्पादों का उपयोग करके इनपुट की खरीद में बड़े पैमाने पर लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के दृष्टिकोण को अपनाती है। अब तक 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ओडीओपी के तहत 137 विशिष्ट उत्पादों वाले 713 जिलों को मंजूरी दी गई है।

4 नीति आयोग, भारत के लिए नई रणनीति @75, दिसंबर 2018, अध्याय 7, पृष्ठ 36

8.29 मार्च 2022 में शुरू किए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) को वैश्विक खाद्य चौंपियन हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने का विशिष्ट माध्यम है। सहायता के लिए उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्र, जैसे समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, और 'रेडी टू ईट/रेडी टू कुक' उत्पाद, को शामिल किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अधीन चरण-I में पीएलआईएसएफपीआई के तहत सहायता के लिए 149 आवेदनों का चयन किया गया है। 800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मोटे अनाज आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी शुरू की गई थी। इस घटक के अधीन, दूसरे चरण में 33 आवेदन (जैविक और मोटा अनाज उत्पाद दोनों) चुने गए हैं।

8.30 पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों से बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पादों सहित खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, कृषि उड़ान 2.0 संस्करण को छह महीने की पायलट परियोजना के रूप में अक्टूबर 2021 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) भारतीय मालवाहकों और पी2सी (पैसेंजर-टू-कार्गो) विमानों के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्ज (टीएनएलसी) और रूट नेविगेशन सुविधा प्रभार (आरएनएफसी) की पूर्ण छूट देता है। इस योजना में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले लगभग 25 हवाई अड्डे और अन्य क्षेत्रों/क्षेत्रों में 28 हवाई अड्डे शामिल हैं। इस प्रकार, यह योजना किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करती है और मूल्य प्राप्ति में सुधार करती है।

खाद्य सुरक्षा-राष्ट्र के लोगों के लिए सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता

8.31 खाद्य सुरक्षा न केवल भोजन पैदा करने की क्षमता का सवाल है बल्कि भोजन तक पहुंचने की क्षमता का भी सवाल है। सरकार वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत भारत की लगभग 80 करोड़ आबादी को शामिल करते हुए दुनिया में सबसे व्यापक कानून-आधारित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रही है। भारत में खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम में किसानों से लाभकारी कीमतों पर खाद्यान्न की खरीद, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, सस्ती कीमतों पर और खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव शामिल है। दिसंबर 2022 तक, एनएफएसए ने 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को मोटे अनाज/गेहूं/चावल के लिए ₹ 1/2/3 प्रति किलोग्राम की दर से अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न दिया। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवारों को क्रमशः 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से और प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से। ऐतिहासिक फैसले द्वारा, सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अधीन लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया है। गरीबों के वित्तीय बोझ को दूर करने के लिए सरकार इस अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधि नियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी पर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। इसके तहत, सरकार अगले एक साल के लिए प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों (गरीब से गरीब) को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।

8.32 इस कार्यक्रम के लिए किसानों से एमएसपी पर खरीद की गई है। खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2021-22 के दौरान, 532.7 एलएमटी के अनुमानित लक्ष्य के मुकाबले 581.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल की खरीद की गई। चालू वर्ष खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2022-23 में 10 दिसंबर 2022 तक कुल 355 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की गई है। इसके अलावा, रबी विपणन सीजन (आरएमएस)

2021-22 के 433.4 लाख मीट्रिक टन की तुलना में रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 में 187.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। खरीद सीजन के दौरान गेहूं का बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक होने के कारण खरीद कम हुई। 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं आदि के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 968.1 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया।

चित्र VIII.9: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2022-23 और 1 जनवरी 2023 (लाख टन) के तहत खाद्यान्न का आवंटन

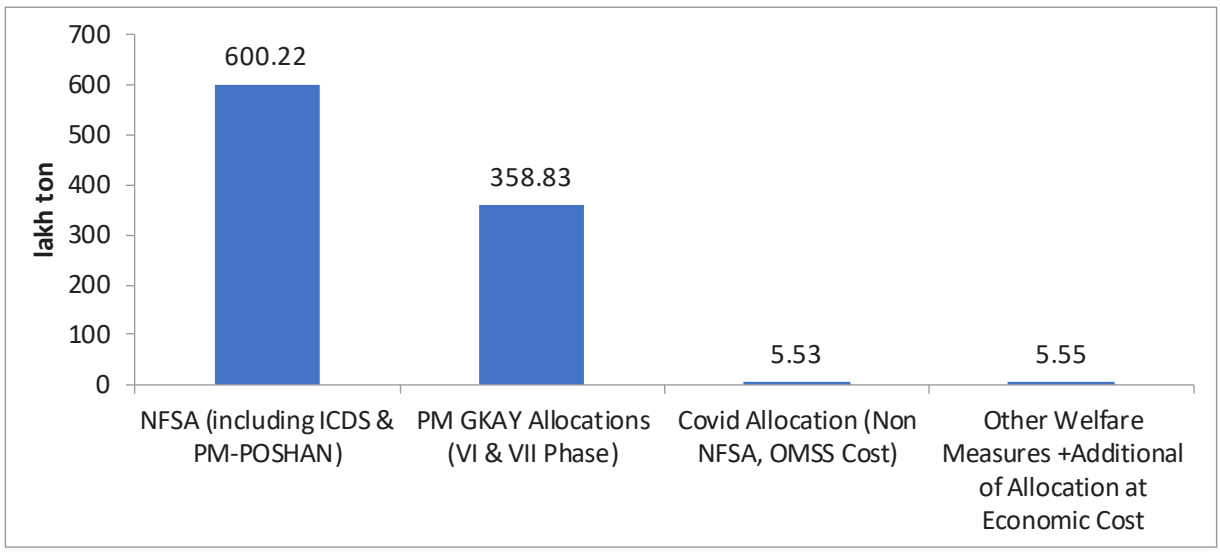

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।

8.33 कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, शुरुआत में सरकार ने अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) शुरू की। फिर भी, गरीबों और जरूरतमंदों को निरंतर सहायता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, योजना को बढ़ाया गया है और इसे विभिन्न चरणों में लागू किया गया है (चरण VII अक्टूबर-दिसंबर, 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है)। योजना के तहत, सभी चरणों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया गया है/किया जा रहा है। 15 नवंबर 2022 तक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) योजना के तहत, सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 1118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है।

8.34 भोजन तक पहुंच की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, सरकार ने 2019 में एक नागरिक-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-संचालित योजना शुरू की, जिसे वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना कहा गया। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली राशन कार्डों की अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्य सुवाह्यता को सक्षम बनाती है। यह उचित मूल्य की दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के बाद उसी राशन कार्ड का उपयोग करके प्रवासी लाभार्थियों को उनकी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से उनकी खाद्य सुरक्षा पात्रता तक पहुँचने में मदद करता है। वर्तमान में, सभी 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय/अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी सक्षम है, जिसमें कुल एनएफएसए आबादी को शत प्रतिशत शामिल किया गया है।

8.35 पीएमएमजीकेएवाई के तहत सरकार के मुफ्त भोजन वितरण कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप अन्य वर्षों की तुलना में 2020-21 और 2021-22 के दौरान खाद्य सब्सिडी बिल अधिक था। यह समर्पित सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई थी कि किसान और कमजोर परिवार कोविड-19 की महामारी के झटके से सुरक्षित रहें।

चित्र VIII.10: 2014-15 से भारत सरकार द्वारा जारी कुल खाद्य सब्सिडी (हजार करोड़)

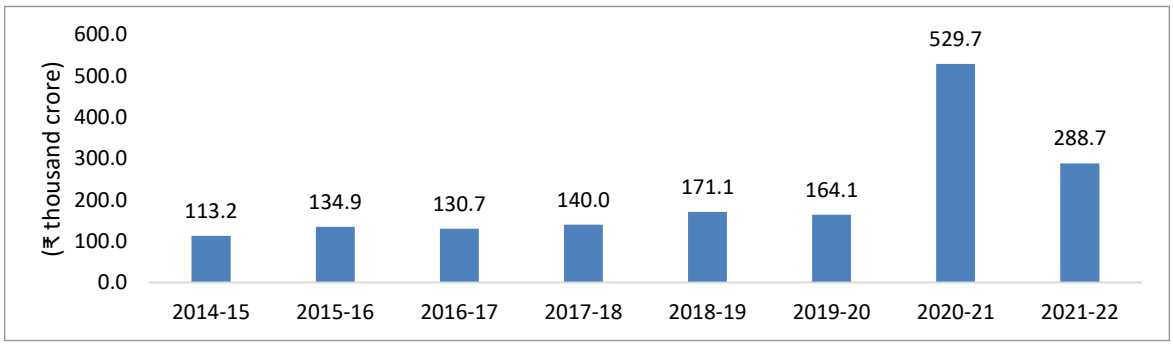

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

टिप्पणी: (i) उपर्युक्त सब्सिडी आंकड़ों में वित्त वर्ष 2017-18 में 40,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय लघु बचत कोष राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि (एनएसएसए) संबंधी ऋण, वित्त वर्ष 2018-19 में 70,000 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 44,164.02 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ii) वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम को जारी कुल धनराशि में से, 462789 करोड़ रुपए का उपयोग 31.03.2021 तक पूरे राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि (एनएसएसएफ) संबंधी ऋण को चुकाने के लिए किया गया था।

निष्कर्ष

8.36 देश में विकास और रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन महत्वपूर्ण बना हुआ है। ऋण वितरण के लिए एक किफायती, समय पर और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम किसान के माध्यम से सरकार द्वारा हस्तक्षेप, पीएमएफबीवाई के माध्यम से संस्थागत वित्त और बीमा को मजबूत करना और किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देना और उत्पादकता में सुधार करने वाली मशीनों और उपकरणों तक पहुंच महत्वपूर्ण रही है। बागवानी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और संबद्ध गतिविधियों की ओर बढ़ने से किसानों की आय में विविधता आई है, जिससे वे मौसम के आघातों के प्रति अधिक लचीले हो गए हैं।

8.37 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान देने से बर्बादी/हानि को कम किया जा सकता है और भंडारण की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिससे किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित हो सकता है। कृषि बाजार को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन को बढ़ावा देने जैसी पहल शुरू की गई हैं। प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री औपचारिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई), उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) आदि सहित हस्तक्षेपों से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि क्षेत्र के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाने के लिए बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। कोल्ड स्टोरेज और बेहतर लॉजिस्टिक्स जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ सुविकसित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बर्बादी को कम करने, मूल्यवर्धन में सुधार करने, किसानों को बेहतर प्रतिलाभ सुनिश्चित करने, रोजगार को बढ़ावा देने और निर्यात आय में वृद्धि करने में मदद करता है।